भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2254
जिसका उत्तर शुक्रवार, 15 दिसम्बर, 2023 को दिया जाना है

वकीलों के पैनल को प्रशिक्षण

2254. श्री प्रताप चन्द्र षडङ्गी :
श्री पी.पी. चौधरी :
श्री अनुराग शर्मा :
डॉ. रमापति राम त्रिपाठी :
श्री संगम लाल गुप्ता :
श्री सी. आर. पाटिल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार का टेलि-लॉ योजना के अंतर्गत परामर्श सेवा प्रदान करने वाले वकीलों के पैनल को प्रशिक्षण देने के लिए कोई प्रावधान है ;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;
(ग) उक्त योजना के तहत राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और गुजरात राज्य में परामर्श पाने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है ;
(घ) क्या सरकार ने उक्त योजना के उपयोग करने हेतु सीमांत ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचने के लिए तथा उन्हें सहायता पहुंचाने के लिए कोई विशेष प्रयास किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और
(ङ) क्या उक्त योजना के तहत परामर्श प्रदान करने हेतु पाली, झांसी, देवरिया, प्रतापगढ़, बालासोर और नवसारी संसदीय चुनाव क्षेत्रों में सभी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) में वीडियो कांफ्रेंसिंग अवसंरचना की सुविधा स्थापित की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : जी, हां, सरकार के पास टेली-लॉ स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को विधिक परामर्श देने वाले पैनल वकीलों को प्रशिक्षण प्रदान करने का उपबंध है । पैनल वकील टेली-लॉ स्कीम के लिए अपनी सेवा प्रदान करने के लिए सम्मिलित होने के बाद प्रशिक्षण और अभिवन्यास से गुजरते है । प्रशिक्षण यह सुनिश्चित करता है कि वे गुणवत्तापूर्ण पूर्व-मुक्द्मेबाजी सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार है, प्रादेशिक भाषाओं और केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय विधियों, नियमों और विनियमों में अच्छी तरह परिचित हैं ।

(ग) : 30 नवंबर, 2023 तक, व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने टेली-लॉ स्कीम से पूर्व-मुकद्मेबाजी परामर्श प्राप्त किया है, इस प्रकार है राजस्थान : 3,85,536 ; उत्तर प्रदेश : 10,63,065 ; ओडिशा: 2,38,957 ; गुजरात : 2,59,117 ।

(घ) : जी, हां, सरकार ने सीमांत ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचने और टेली-लॉ स्कीम का उपयोग करने में उनकी सहायता करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं । कार्यरत 774 पैनल वकीलों में से 54% महिला वकील है । इसके अतिरिक्त, सामान्य सेवा केन्द्र चलाने वाली लगभग 74,000 महिला ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) को टेली-लॉ सेवाओं पर प्रशिक्षित किया जाता है । गांवों में नियमित प्रशिक्षण और जागरुकता सत्र संचालित किए जाते हैं, वर्ष 2021 से संपूर्ण देश में 1,384 प्रशिक्षण और 2,416 जागरूकता सत्र आयोजित किए गए हैं । 30.11.2023 तक 60,23,222 फायदाग्राहियों को टेली-लॉ स्कीम के अधीन विधिक सेवाओं से फायदा दिया गया है, जिसमें से 21,49,485 महिलाएं हैं ।

(ड.) : जी, हां, टेली-लॉ सेवा 36 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों जिसके अंतर्गत पाली, झांसी, देवरिया, प्रतापगढ़, बालासोर और नवसारी आते हैं, के 782 जिलों की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में परिचालित है, जिसमें टेली-लॉ स्कीम के अधीन परामर्श देने के लिए पर्याप्त वीडियो कांफ्रेंसिंग अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध हैं । टेली-लॉ वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्व-मुकद्मेबाजी परामर्श चाहने वाले नागरिकों से पैनल वकीलों को जोड़ने के लिए सुविधाएं विद्यमान हैं ।

****